राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा / पेंशन) विभाग

क्रमांक : प.10(5)वित्त / राजस्व / 2010 जयपुर, दिनांक : 4 FEB 2016

परिपत्र

राज्य सरकार के सिविल पेंशनर की मृत्यु के उपरान्त उसके पति / पत्नी को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के माध्यम से पारिवारिक पेंशन भुगतान किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा आज्ञा क्रमांक एफ.10(15) वित्त / राजस्व / 2015 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान करने की स्कीम के पैरा 15 के उप पैरा संख्या 15.2 के नीचे नया निम्न उप पैरा संख्या 15.3 जोड़ा गया है :–

"15.3 On death of pensioner there is no need for wife/husband of pensioner to appear physically in bank branch for starting payment of family pension, if joint account has already been opened by the pensioner with her/him, their k.y.c. is updated, joint account has been linked with Aadhar card, affidavit regarding recovery of excess payment has been submitted by the family pensioner and she/he has submitted life certificate issued online by a government agency as a result of Aadhar Biometric authentication subject to the condition that she/he has submitted death certificate and application for grant of family pension in Annexure-V to respective bank branch. "

शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय बैंकों द्वारा उक्त जोड़े गये नये उप पैरा 15.3 की पालना नहीं की जा रही है एवम् पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर को पारिवारिक पेंशन शुरू कराने के लिए बैंक में व्यक्तिशः उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है।

अतः सभी बैंकों को निर्देशित किया जाता है कि जिन मामलों में पेंशनर का संयुक्त खाता है, उनका के.वाई.सी. अपडेट है, उक्त संयुक्त खाता आधार कार्ड से लिंक है, पारिवारिक पेंशनर के द्वारा अधिक भुगतान की वसूली का शपथ पत्र, ऑनलाईन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र एवम् पारिवारिक पेंशन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया जा चुका है, उन मामलों में पारिवारिक पेंशनर पति / पत्नी को बैंक शाखा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जावे। यदि उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई, तो इसे गंभीरता से लिया जाकर संबंधित बैंक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जावे।

09 FEB 2016
26719

सिद्धार्थ
(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सांगानेरी गेट, जयपुर।
2 मुख्य प्रबन्धक, (वित्त एवम् लेखा) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, केन्द्रीय विभाग, जयपुर।
3 सहायक जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
4 रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, रीजनल ऑफिस, नेहरू कॉम्प्लेक्स, टौंक रोड, जयपुर।

5 जनरल मैनेजर, यूको बैंक हैड ऑफिस–II, ऑपरेशन एण्ड सर्विस विभाग, 3 व 4, डीडी ब्लॉक, सेक्टर – I साल्ट लेक, कोलकता – 700064

6 रीजनल मैनेजर, यूनाईटेड कमर्शिलय बैंक, जोनल ऑफिस, ए 38 (बी) आर्केड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड, जयपुर।

7 रीजनल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस, नन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।

8 सहायक जनरल मैनेजर, ईलाहबाद बैंक, ए–3, शुभम टावर, शास्त्री नगर, जयपुर।

9 जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, सी–63, सरोजनी मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

10 सहायक जनरल मैनेजर, (वित्त एवम् लेखा) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, हैड ऑफिस, पोस्ट बॉक्स नम्बर 34, पूज्जापुरा तिरूवरन्तपुरम।

11 जनरल मैनेजर, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।

12 जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 104, अहिंसा सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1 निदेशक, पेंशन एवम् पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2 निदेशक, कोष एवम् लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

05/02/16

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज०, जयपुर

क्रमांक: प.5(254) निपेनि/नियम/05/एकलपत्रावली न.2/ 724-33 H दिनांक: 11.02.2016

परिपत्र की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षे. का., कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर (राज०)

2. उप / सहायक निदेशक (समस्त) पी. आर. अनुभाग, I & IV, II & VI, III, V & VII मुख्यालय, जयपुर

उप निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स
वेलफेयर विभाग राज
जयपुर